न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 68/05 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2005/00023

उनवान

1. वासदेव पुत्र कंगली, जाति जाटव निवासी पीरनगर तहसील भरतपुर– मृतक
   - 1/1 प्रेमवती पत्नी स्व. वासदेव
   - 1/2 गिरधर सिंह, 1/3 धर्मेन्द्र — पुत्रगण वासदेव
   - 1/4 माया, 1/5 लक्ष्मी, 1/6 रामवती — पुत्रीयान वासदेव

   जाति जाटव निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. चरनसिंह पुत्र उद्दी जाति जाटव निवासी पीरनगर – मृतक
   - 1/1 मालिकचन्द, 1/2 उम्मेदसिंह, 1/3 सुभाषचन्द — पुत्रगण चरनसिंह
   - 1/4 विरमा, 1/5 इमले, 1/6 राजो — पुत्रीयान चरनसिंह

   जाति जाटव निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।

.....असल उत्तरवादीगण

2. किशनी कंचन – मृतक
   - 2/1 धनपाल, 2/2 सुखपाल, 2/3 प्रेमसिंह, 2/4 पदम, 2/5 जुगलसिंह

   पुत्रगण स्व. किशनी, जाति जाटव निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।

3. पूरन पुत्र जौहरी – मृतक
   - 3/1 शिवनारायन, 3/2 सत्यवीर, 3/3 कुवरपाल, 3/4 राकेश

   पुत्रगण स्व. पूरन, जाति जाटव निवासी नगला केवल तहसील व जिला भरतपुर।

4. रामा पत्नी पूरन
5. छत्तर पुत्र पूरन

   निवासी पीरनगर, तहसील व जिला भरतपुर।

6. परसराम पुत्र रोशन – मृतक
   - 6/1 लाखन, 6/2 पदम, 6/3 रविकान्त पुत्र रूपसिंह

   जाति जाटव निवासी पीरनगर, तहसील व जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6/4 योगेश पुत्र रूपसिंह उम्र 16 साल द्वारा माँ गौरा
6/5 गौरा पत्नी रूपसिंह
6/6 बबलू पुत्र परसराम
6/7 इन्द्रा
6/8 चन्दा
6/9 मीना
6/10 मोहनदेई
(पुत्रीयान परसराम)
(जाति जाटव निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।)

7. मुस0 सफेदी बेवा रोशन – मृतक
   7/1 परसराम पुत्र रोशन
   7/2 रामा पुत्र रोशन
   7/3 छत्तरसिंह पुत्र पूरनसिंह
   (जाति जाटव निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।)
8. हरपाल पुत्र कंगली – मृतक
   8/1 केशमती पत्नी स्व. हरपाल
   8/2 पुष्पेन्द्र
   8/3 मनोज
   8/4 अनूप
   (पुत्रान हरपाल)
   8/5 राजवाला
   8/6 मैनका
   (पुत्रीयान हरपाल)
   (जाति जाटव निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भरतपुर।)
9. राजस्थान सरकार तामील जरिये पैरोकार सरकार

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 242/02 बउनवानी चरनसिंह बनाम कंगली आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री संतोषी लाल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 लगायत 1/6 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 08.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 242/02 बउनवानी चरनसिंह बनाम कंगली आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005, दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट्स वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 1 व 2 वादपत्र वाके ग्राम गावडी व पीरनगर के सम्बन्ध में विभाजन का दावा खिलाफ प्रतिवादी/अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 8 के विरुद्ध पेश किया था कि उक्त विवादित आराजी में से वादी के हिस्से का अच्छी में से अचछी व बुरी में से बुरी आराजी का कुर्रा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बनाया जाकर उस हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं कागजात पटवार में इन्द्राजात किये जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी पर से वादी को उसके हिस्से मे काश्त करने से न रोके और न ही वादी को बेदखल करें तथा आराजी को रहन–बय–मुन्तकिल न करें। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.04.2004 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने कुर्रा रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक की पृथक–पृथक खातेदारी कायम करते हुए वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संतोषी लाल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 लगायत 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 खिलाफ कानून मिसिल है जो काबिले मंसूखी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधी निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि ग्राम पीरनगर में स्थित आराजी में अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 के साथ सह–काश्तकार है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा जो कुर्रा ग्राम पीरनगर का आराजी के बाबत बनाया गया है उसमें 148 ऐयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को दिया गया है और अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 8 हरपाल को ग्राम पीरनगर मे 127 ऐयर दिया गया है। प्राथमिक डिक्री के उपरान्त तहसीलदार भरतपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुर्रा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इन कुर्रेजात रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से ऐतराज पेश किया गया था कि तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है वह मुताबिक हिस्से रिपोर्ट नहीं है। किसी पक्षकार को रकबा अधिक दिया है व किसी को कम दिया गया है जिसमें अपीलान्ट के हिस्से मे गॉव पीरनगर में रकबा कम दिया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के सम्बन्ध में उठाये गये ऐतराजों को कन्सीडर न करते हुए अन्तिम डिक्री जारी करने में भारी त्रुटि की है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पीरनगर मे स्थित आराजी के सम्बन्ध में जो कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा पेश हुई थी उसमें कुर्रेजात रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी कि ग्राम पीरनगर में रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगायत 7 को 1.25 ऐयर कुर्रेजात रिपोर्ट मे दिया जाना दर्शाया गया है जो मुताबिक विभाजन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि ग्राम पीरनगर स्थित आराजी का विभाजन बराबर–बराबर करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मैकेनिकल तरीके से कुर्रेजात रिपोर्ट को कन्सीडर कर खिलाफ कानून अपीलाधीन निर्णय देने में कानूनी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 29.03.2005 अपास्त किये जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम गावड़ी तहसील भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1,2,5,6,7,8 मे 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हिस्सा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 हरपाल को बेच दिया था इसलिए वह कंगली के हिस्से के 1/2 का हिस्सेदार था प्रतिवादी सं. 3 उक्त आराजी में 1/4 का खातेदार था तथा प्रतिवादी सं. 4 उक्त रकबे में 1/2 हिस्से का खातेदार था। इसी प्रकार विवादित आराजी कुल किता 22 रकबा 4 हैक्टेयर वाके ग्राम पीरनगर तहसील भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1 कंगली बहिस्सा बराबर 2/3 हिस्से के खातेदार थे तथा प्रतिवादी सं. 6,7,8 उक्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से की 1/2 हिस्से की जमीन को बिना विभाजन कराये अपने लड़के हरपाल को बयनामा करा दिया था। इस कारण अब शामिल काश्त करना सम्भव नहीं रहा इस कारण वादी/रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा पेश कर विवादित आराजी अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हिस्सा अनुसार कुर्रा कराकर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी थे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भरतपुर से कुर्रा रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार भरतपुर ने विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए कुर्रा रिपोर्ट तैयार की गई तथा उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रुप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधिवत सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 12.04.2005 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने दावा अन्तर्गत धारा 53, 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 1 व 2 वादपत्र वाके ग्राम गावडी व पीरनगर में स्थित है। जिस बाबत वादीगण ने यह अनुतोष मांगा था कि उक्त विवादित आराजी में से वादी के हिस्से का अच्छी में से अचछी व बुरी में से बुरी आराजी का कुर्रा बनाया जाकर उस हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं कागजात पटवार में इन्द्राजात किये जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में दिनांक 22.04.2004 को प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रे प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार भरतपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार भरतपुर से कुर्रा रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं उसके आधार पर न्यायालय तहत द्वारा दिनांक 29.03.2005 को अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित किए गए।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने पर उसके बंटवारे का प्रावधान सह–खातेदारों के मध्य करती है। जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :–

धारा 53, जोत का विभाजन :–

(1) विलोपित

(2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा–

(i) सह–अभिधारियों के बीच

(क) जोत के ऐसे विभाजन, और

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा या

(ii) एक या अधिक सह–अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

(3) लोपित

(4) किसी एक या एक से अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में, सभी सह–अभिधारी और भू–धारक पक्षकार बनाये जायेंगे।

(5) एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वे ही हों।

धारा 53 को लागू करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 में नियम 18 से 21 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

जोत विभाजन करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 में किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

(1) नियम 18 – एक जोत के विभाजन तथा लगान के बंटवारे का सह–अभिधारियों द्वारा किया गया करार तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी वहां अधिकारिता है। तहसीलदार उस करार की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा और तदनुसार जोत के विभाजन को प्रभावी (लागू) करेगा।

(2) नियम 19 – करार के आधार पर डिक्रित वाद में जोत का विभाजन : यदि जोत के विभाजन के वाद के लंबित रहने के दौरान उस वाद के सह–अभिधारी किसी करार (समझौते) पर आते हैं, तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्रीत किया जाएगा।

(3) नियम 20 – सक्षम न्यायालय की वाद में दी गयी डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 19 में उपबंधित को छोड़कर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सह–अभिधारी द्वारा लाए गए वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है, वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो, डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जावेगा–

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपातिक होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आंवटित भाग यथासंभव एक साथ होगा।

(ग) जहां तक संभव हो, किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटी की भूमि नहीं दी जाएगी,

(घ) जहां तक संभव हो, विद्यमान खेतों के टुकड़े नहीं किए जाएगें।

(ड) भू–खण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथासंभव उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जायेगा, यदि वे उसके हिस्से से अधिक नहीं हों।

(4) नियम 21 – नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन (चिन्हित) करना तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भू–खण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अलग–अलग रंगों में दिखाया जाएगा और यदि खेत को उप–विभाजित किया गया है, तो पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

इस प्रकार वाद में सक्षम न्यायालय की दी गई डिक्री (प्रारम्भिक डिक्री) द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान नियम 20 व नियम 21 में दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों में यह निर्धारित किया गया है कि :–

2017 RBJ 299 :- कैलाश बनाम रमेश के मामले में माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के सम्बंध में निम्न मत व्यक्त किया है:–

1. It is mandatory that complete report has to be prepared by Tehsildar himself but he may take assistance of other officials as well.
2. Tehsildar himself go to the site
3. Tehsildar will issue a notice to all concerned parties that they have to be prepared for pre partition proposals at the site.

इसी न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि
"The Tehsildar prepare the proposal for division under his own seal and signature, he cannot simply forward the report submitted by ILR, Patwari and draftsman"

हस्तगत जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 के विरुद्ध तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 23.02.2005 को आधार बनाकर पारित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार भरतपुर द्वारा पेश की गई कुर्रा रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार स्वयं के द्वारा तैयार नहीं की गई है, उक्त कुर्रा रिपोर्ट पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई है। जबकि हस्तगत जैर अपील में अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 22.04.2004 को प्राथमिक डिक्री पारित करने के बाद उसकी पालना में कुर्रे रिपोर्ट मंगवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भरतपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मौका कमिशनर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार भरतपुर को चाहिए था कि उभयपक्षों को पूर्व में विधिवत सूचना देकर स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करते। लेकिन तहसीलदार भरतपुर स्वयं मौके पर नहीं गए। चूंकि तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रा रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र में तहसीलदार द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनवानी प्रकरण के कुर्रे पटवारी, आई.एल.आर. पर नियमानुसार तैयार कराये जाकर मूल ही संलग्न कर प्रेषित है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का आई.एल.आर. द्वारा तैयार किए गए। जबकि तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका पर जाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए थे। इस रिपोर्ट को पेश करने से पहले तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि वह उनकी भूमि सम्बन्धी बंटवारे की रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार आवश्यक है। अन्तिम डिक्री पारित होने से पहले दोनों पक्षकारों को इस बात का पता होना चाहिए कि प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार मौका कमिश्नर नियुक्ति का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है और वह किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18–21 के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.04.2004 को प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं तहसीलदार भरतपुर को कुर्रे भिजवाने हेतु आदेशित किया है। तहसीलदार भरतपुर को स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

थे। क्योंकि विधि द्वारा जिस कार्य को जिस प्रकार करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी है उसे उसी अनुसार सम्पादित करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का, आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये कुर्रे प्रस्तावों के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अतः विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है।

नियमों के विपरीत तैयार किए गए विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री दिनांक 29.03.2005 को जारी करने में विधिक त्रुटि एवं तात्विक अनियमितता कारित की है। हमारी राय में विधि विरुद्ध जारी अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 निरस्त होने योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.03.2005 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावें। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की तारीख तय कर उभयपक्ष को नोटिस जारी करेगें एवं विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में मय नजरी नक्शा व फर्द को तैयार करेगें एवं प्रत्येक सह–खातेदार के खेत तक पहुंचने का रास्ता एवं लगान के बंटवारे के प्रस्ताव भी अलग–अलग तैयार कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आदेश क्रमांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिए गए निर्देशों एवं निर्धारित प्रारुप में स्वयं मौके पर जाकर तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करेगें एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सह–खातेदारान की आपत्तियों आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार उनका निस्तारण करते हुए विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पुनः पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर